

खास-खबरें

अदालती कार्यवाही के प्रसारण पर रोक

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सामाजिक माध्यमों पर अदालती कार्यवाही के वीडियो साझा करने पर अंतरिम रोक लगा दी। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अदालती कार्यवाही की समाचार रिपोर्टिंग पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी और समाचार माध्यम पूर्व की तरह कार्यवाही का प्रकाशन एवं प्रसारण कर सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने अदालती कार्यवाही के प्रत्यक्ष प्रसारण तथा उसके वीडियो सामाजिक माध्यमों पर साझा किए जाने पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।

पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, दो की मौत

नईदुनिया ब्यूरो, सहारनपुर: सहारनपुर जिले में शुक्रवार शाम पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि ठेकेदार सहित दो लोग लापता बताए जा रहे हैं। विस्फोट इतना तेज था कि मृतकों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए। एक शव फैक्ट्री से लगभग 500 मीटर दूर खेत के किनारे मिला। घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाके की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैल गई। विस्फोट के बाद स्थानीय लोग तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन तथा अग्निशमन विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। हादसे में फैक्ट्री का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना गंगोह थाना क्षेत्र के नया गांव में हुई।

वांगचुक का अनशन समाप्त कराने में तन्खा ने की मध्यस्थता

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल समाप्त कराने को लेकर विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सरकार और वांगचुक के बीच गतिरोध समाप्त कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। तीन दिन तक पदों के पीछे बातचीत चली, जिसके बाद सहमति बनी। अनशन समाप्त होने के बाद वांगचुक ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मदे प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला। उनके लिए छात्रों पर कार्रवाई रुकवाना सबसे महत्वपूर्ण था।

प्रदेश के चार महानगरों में स्थापित होंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट : डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि अंतरित की, पर्यटन और रोजगार बढ़ाने पर बल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं की शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा के अनुरूप मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी त्वरित न्यायालय प्रारंभ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष पन्ना चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण किया जाएगा, जिससे नीट अभ्यर्थियों को चिकित्सक बनने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री पन्ना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 35 लाख से अधिक हितग्राहियों को लगभग 210 करोड़ रुपये की राशि एक साथ अंतरित की। साथ ही विभिन्न विभागों की योजनाओं के हितग्राहियों तथा आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया।



मुख्यमंत्री ने 184.83 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया। इनमें गुन्नौर और पर्वई में 74 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले दो सांदीपनि विद्यालय भी शामिल हैं। उन्होंने पन्ना के बृहस्पति कुंड में लगभग आठ करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कांच के फर्श वाले दर्शनीय स्थल और अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन-बेतवा नदी जोड़ी परियोजना

बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली योजना है और इससे किसानों की समृद्धि बढ़ेगी। उन्होंने परियोजना से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पुलिस विभाग में लगभग दस हजार नए पद स्वीकृत किए गए हैं तथा एक लाख से अधिक शासकीय पदों पर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पर्यटन, कृषि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार बढ़ाने पर भी जोर दिया।

संवाद

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट से जुड़े धन शोधन मामले में 1,906 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क करने की जानकारी दी। एजेंसी का आरोप है कि कंपनी ने ऐसा ऑनलाइन खेल तंत्र विकसित किया, जिससे खिलाड़ियों में लगातार दांव लगाने की प्रवृत्ति बढ़ी और इसके माध्यम से बड़ी मात्रा में अवैध कमाई की गई। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, यह कार्रवाई 22 जुलाई को धन शोधन निवारण अधिनियम के

अचानक चट्टानों गिर पड़ीं। वाहन में 15 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हो गया है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से बड़ा हादसा हुआ, जबकि गुजरात में बाढ़ जैसे

हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदियां उफान पर हैं और राजस्थान के कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वलसाड जिले के उमरगाम तालुका में 16 घंटे के दौरान 43 इंच वर्षा दर्ज की गई, जिससे निचले क्षेत्रों में व्यापक जलभराव हो गया। नवसारी जिले में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलिकॉप्टर की सहायता से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अहमदाबाद और सूरत सहित कई शहरों में सड़कों तथा निचले इलाकों में पानी भर गया है।

आधार पर धन शोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। जांच एजेंसी ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कुर्क की गई परिसंपत्तियों को धन शोधन मामले की जांच का हिस्सा मानते हुए अपने नियंत्रण में लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे प्रकरण में वित्तीय लेनदेन, निवेश के स्रोत तथा संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिका की भी जांच कर रहा है।

